समाहरणालय बेगूसराय

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संभावित बाढ़ 2013 से प्रभावित होने वाले परिवारों को सुरक्षा एवं सहाय्य मुहैया कराने के निमित्त बाढ़ पूर्व तैयारियों के दृष्टिगत इस शाखा के पत्रांक 400/आ0प्र0 दिनांक 31.05.2013 द्वारा 250 माईक्रोन गुणवत्ता की पोलिथीन शीट्स की आपूर्ति करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रकाशन किया गया था। उक्त संदर्भ मे प्राप्त एकल निविदा फर्म मे0 सनहित पोलिमर, सिटी ऑफिस 11 पोलौक स्ट्रीट, तृतीय मंजिल, कमरा सं0–3बी/1, कोलकाता–700001, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, श्री निकेतन रोड, बोलपुर, वीरभूम (पश्चिम बंगाल) – 731204 की निविदा को दिनांक 14.06.2013 को आहूत जिला क्रय समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया है। संबंधित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये एकरारनामा के आलोक में निम्नांकित विशिष्टियों एवं विवरणों के अनुरूप उक्त फर्म को पोलिथीन शीट्स की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है ::–

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का नाम एवं पता	आपूर्ति किए जाने वाले सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	मात्रा	दर
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanhit Polymer, Bolpur, West Bangal (DGS&D निबंधन संख्या– DGS&D/ Regn/KOL/S-3441/09/04935, बिहार वैट TIN No.-10083817053, PAN No.-AAQFS2264N)	Low Density Polyethylene Black Sheets of 250 Micron	DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का	4X5 मीटर	3000 पीस	117.51 (एक सौ सतरह रूपये एकावन पैसे) प्रति किलो ग्राम सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित

2. आपूर्तिकर्त्ता को पोलिथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
3. आपूरित पोलिथीन शीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय में करनी होगी जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी एवं जमानत राशि जब्त करने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।

5. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
6. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायगा।
7. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायगा।

ह0—

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।

ज्ञापांक ....422..../आप्र0 दिनांक ....24.6.13....

प्रतिलिपि — मेसर्स सनहित पोलिमर, सिटी, ऑफिस, 11 पोलौक स्ट्रीट, तृतीय मंजिल, कमरा सं0–3बी/1, कोलकाता–700001 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, श्री निकेतन रोड, बोलपुर, वीरभूम (पश्चिम बंगाल) – 731204 को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — ADG(Q.A.),O/O DGS&D 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, बेगूसराय/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पोलिथीन शीट्स का भंडारण एवं देख रेख अपने स्तर से करवाना सुनिश्चित करेगें तथा भंडार पंजी भी संधारित करेगें।

प्रतिलिपि — जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बेगूसराय/आई0टी0 मैनेजर, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को बेगूसराय जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि — सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि — आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।